AHCF

गैर मुक़ल्लीद्दीयत में ज़लज़ले पैदा करने वाली किताब, नाम के अहेले हदीस की हदीस दुश्मनी का मुँह बोलता सुबूत

हदीस के दुश्मन

मुसन्निफ़

गाज़ी -ए- अहेले सुन्नत, ज़ैग़माने हनफ़ीयत, ख़लीफ़ा -ए- हुज़ूर ताजुश्शरिआ, हज़रत अल्लामा सूफ़ी मुहम्मद कलीम हनफ़ी रज़वी

बानी व सदर सुन्नी जमीअतूल अहनाफ़, मुम्बई

नाशिर

सुन्नी जमीअतुल अहनाफ़, मुम्बई, इंडिया

Abu Hanifa Publication

Powered By : Abu Hanifa Charity Foundation, Khamgaon, India

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

लगभग 15 साल के अरसे से फ़क़ीर का माअमूल ये है कि सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइड्स पर अपने सुन्नी बरेलवी भाइयो की दीनी मालूमात के लिए कुछ न कुछ पैगाम सिलसिलेवार मैसेज की शक्ल में भेजता रहेता हूँ।

किसे पता था कि ये किश्तवार मैसेज आगे चल कर किताबी शक्ल इख़्तेयार कर लेंगे मुख्तलिफ मज़ामीन पर लिखे मैसेज अब 25 किताबो की शक्ल में तैयार हो कर क़ौम के सामने पेश होने को तैयार है।

ज़ाहिर है जब ये मज़ामीन की शक्ल में थे और किश्तवार लिखे जा रहे थे तो उस वक़्त किताब जैसी तरतीब का खयाल नही रखा गया था, लेकिन ईस की मक़बूलियत और अवाम -ए- अहेले सुन्नत व उलमा -ए- किराम की पसंद ने इस बात पर मजबूर किया कि इसे किताबी शक्ल में शायअ किया जाए, ताकि इस के और बेहतर व मुफीद नताइज बारआमद हो लिहाज़ा ये छपी किताब बनाम हदीस के दुश्मन आप के हाथों की ज़ीनत है।

ये भी ज़हेन में रखे कि सोशल मीडिया पर लिखे गए मेरे सभी मज़मून को अनरोइड यूजर के लिए अप्लिकेशन कि शक्ल में बनाया गया था, फिर कुछ लोगो ने बिला इजाज़त उर्दू, अंग्रेज़ी, गुजराती और दीगर ज़ुबानों में छापा अगर उन की तबाअत में कोई शरई या लफ्ज़ी पकड़ हो उस के लिए हम ज़िम्मेदार नही है।

आलमी सुन्नी बरेलवी तंज़ीम, "सुन्नी जमीअतुल अहनाफ़" की जानीब से ये पहेली इशाअत है, अगर इस मे आप कोई खामी या कमी देखे तो ज़रूर इत्तेला करे, ताकि आइन्दा ऐडिशन में उस की तसहीह हो सके।

ये किताब कम पढ़े लिखे सुन्नी भाइयो की इस्लाह की गरज़ से लिखी गयी है तो ज़ाहिर है अदक और अदब का ज़ौक़ रखने वाले अल्लामा तबीअत के लोग इस से मायूस होंगे ना ही आगे भी उन की तबीअत का लिहाज़ रख पाउगा चूंकि मैं कोई बाक़ायदा मुहर्रिर हूँ न अदीब न मुझे कोई दावा अक़्मलित है बस जो है सरकार इमाम -ए- आज़म अबु हनीफा नोमान बिन साबित رضی اللہ تعالیٰ عنہ का फैज़ है।

मुकर्रर अर्ज़ करुगा अगर कही कोई गलती नज़र आये तो बजाए गरीब मुसन्निफ़ का मज़ाक बनाने और किताब की अहमियत को कम करने के मुझे या तंज़ीम के किसी भी ज़िम्मेदार को आगाह करे और इख्लास से इस्लाह फरमाने की कोशिश करे انشاء اللہ تعالی हमारी जानिब से भी इस कि तलाफ़ी में कोई कमी नही होगी।

औराक पलटे और पढ़े...रातो दिन हदीस हदीस की रट लगाने वाले नाम निहाद अहेले हदीस फ़िरक़ा लामज़हब का मकरूह व भयानक चेहरा, अइम्मा -ए-अरबाह की इत्तेबाअ से रोक कर हदीस की इत्तेबाअ की दावत देने वालो की हदीस दुश्मनी का मुँह बोलता सुबूत।

अहकर उल इबाद-
मुहम्मद कलीम हनफ़ी रज़वी
क़सरे अबु हनीफा मुम्बई,इंडिया

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم.

الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلوۃ والسلام علی خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بارك وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا.... ام بعد۔

तक़लीद या तहक़ीक़

ईस में कोई शक नही की हमारा दीने इस्लाम एक तहक़ीकी दीन है और उस ने हमे तहक़ीक़ का हुक्म भी दिया है,

चुनाँचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है,

"ए ईमान वालो! अगर कोई फ़ासिक़ तुम्हारे पास खबर लाए तो तहक़ीक़ कर लो कही किसी क़ौम को बेजा ईज़ा (तकलीफ) ना दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रहे जाओ."

(القران الکریم، سورہ الحجرات، الآیۃ :6)

अक्सर झगड़े फसाद झूटी खबरों की बिना पर होते है इसी लिए क़ुरआन ने इस इख़्तेलाफ़ व इंतेशार के दरवाज़े को बंद करने की तालीम दी:

किसी भी खबर को बिला तहक़ीक़ क़ुबूल न करो, मालूम हुआ दीन ओ दुनिया के सारे

फसादात की बुनियाद अदमें तहक़ीक़ (तहक़ीक़ न करना) है लेकिन सवाल ये उठता है, क्या तहक़ीक़ का हक़ हर कीस व नाकिस को है? या इस के लिए भी कुछ अहेलियत दरकार है?

"आप सब जानते है दुनियावी मुआमिलात में हर फन में उस के माहिर व कामिल की बात तस्लीम की जाती है, ना कि उस की जो फन से ना वाकिफ हो, हीरे की परख जौहरी करेगा मोची नही, सोने की जाँच सुनार करेगा कोई चमार नही, क़ानून की बात वो करे जिस ने क़ानून पढ़ा हो चपरासी उस का अहेल नही, ठीक इसी तरह दीन के मुआमले में भी दीन के माहिरीन की तहक़ीक़ मानी जाएगी हर चार वरकी किताब पढ़े मुल्ला की नही।"

अल्लाह त'आला ने जब तहक़ीक़ का हुक्म दिया तो साथ मे ये हक़ किस का है ये भी वाज़ेह इरशाद फरमाया:

"और जब उन के पास कोई बात इतमीनान और डर की आती है उस का चर्चा कर बैठेते है और अगर इस मे रसूल और अपने ज़ी इख्तियार लोगो की तरफ रुजू लाते तो ज़रूर उन से इस कि हक़ीक़त जान लेते, ये जो बाद में तहक़ीक़ करते है और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उस की रहेमत न होती तो ज़रूर तुम शैतान के पीछे लग जाते मगर थोड़े"

(القرآن الكريم، پرا:5، ركوع:8، سوره النساء، آيت:83)

यानी इन मुनाफिक़ो और कुछ ना समझ मुसलमानो की खराबी ये है की, जब कोई ख़बर आती है तो बिला तहक़ीक़ उस को मशहूर कर देते है और इस मे अक्सर नुक़सान और फ़साद मुसलमानों को ही पेश आता है इस लिए हुक़्म दिया गया जब कोई खबर आए तो पहेले उसे अपने सरदार तक पहुँचाओ या उस के नबियों तक और जब वो अपनी तहक़ीक़ और ख्वाइश से जो फैसला करे उसे नक़्ल कर लो और उस पर अमल करो।

इस आयत में वाज़ेह तौर पर अल्लाह त'आला ने तहक़ीक़ का हक़ अपने रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को और उस के बाद अहेले इस्तीमबात को दिया जिनको इस्तलाह में मुजतहिदीं कहा जाता है।

इस्तिम्बात क्या है?

ये अरबी का लफ़्ज़ है जिस का माना है ज़मीन की तहों में जो पानी छुपा है उसे कुँवा वगैरा बना कर निकालना,

पानी इन्सानी ज़िन्दगी के लिए कितना ज़रूरी है इसे समझाने की ज़रूरत नही, बगैर पानी के ना वुज़ू, ना ग़ुस्ल, ना कपड़े साफ, ना खाना, ना पीना इसी तरह इस्लामी ज़िन्दगी के लिए क्या ज़रूरी है?

फ़िक़्ह ज़रूरी है, इबादत हो या मुआमलात, इक़्तिसादियात हो या सियासियात, हुदूद हो या ताज़ीरात गरज़ की इस्लामी ज़िन्दगी का कोई शोअबा ऐसा नही जिस में फ़िक़्ह की रहनुमाई की ज़रूरत ना हो, फ़िक़्ह और इस्तेमबात किसी शख़्स की ज़ाती ख्वाइश का नाम नही जिस तरह ज़मीन की तहे में जो पानी है वो अल्लाह ही का पैदा करदा है ना कि उस इन्सान का जिस ने कुआँ खोदा, इसी तरह फुक़्हा व मुजतहिदीन क़ुरआन ओ सुन्नत के दरिया में से मसाइल निकालते है ये मसाइल इनके पैदा किए हुए नही है बल्कि वहाँ थे मगर आम की नज़र न जा सकी और इस ख़ास ने उसे निकाला।

ये हज़रात क़ुरआन ओ सुन्नत की तहों में छुपे मसाइल ज़ाहिर फरमाते है अपनी जानिब से बना कर क़ुरआन ओ सुन्नत की तरफ मंसूब नही करते, पहेली सदी हिजरी में फुक़्हा सहाबा ने जो इज्तेहाद फरमाए वो भी अल्लाह व रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ही के मसाइल बयान फरमाए, दूसरी सदी हिजरी में चारो (4) इमामो ने जो मसाइल बयान किए वो भी क़ुरआन ओ सुन्नत ही कि तफसील थी, फ़र्क़ इतना है कि सहाबा की मुबारक़ ज़िंदगियाँ ज़्यादातर जेहाद में गुज़री इस लिए उन के बयानकर्दा मसाइल महेफूज़ ना रहे सके।

अल्लाह ने ये स'आदत चारो इमामों के हिस्से में रखी, उन के मज़ाहीब मुदव्वन हो कर कियामत तक के लिए महेफूज़ ओ मामून हो गए। लफ़्ज़े इस्तेमबात का माना समझने के बाद अस्ल बात की तरफ आप की तवज्जोह लाता हुँ,

दीन में तहक़ीक़ का हक़ सिर्फ दो हस्तियों को है, अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को और मुजतहिदीन -ए- किराम को लेकिन दोनों में जो वाज़ेह फ़र्क़ है वो ये है कि रसूल صلی اللہ علیہ وسلم शारे'अ (شارح) है उन की हैसियत मुस्तक़ील तशरीह व तशरीही है वो क़ानून साज़ है।

और फुक़हा व मुजतहिदीन कि हैसियत शारीहीन व मुहक़्क़ीक़ीन की है, वो क़ानून बनाने वाले नही बल्कि क़ानून बताने वाले है मुजतहिद शरीअत का बनाने वाला नही होता है बल्कि वो शरीअत का माहिर होता है वो अगरचे मासूम (गलती से पाक) नही लेकिन वो मत'उन (जिस पर ताना कसा जाए) भी नही क्योंकि वो अपने इज्तेहाद में माजूर (अज्र पाने वाला) होता है अगर सही हुआ तो दो नेकी और गलत हुआ तब भी एक नेकी, पूरी उम्मत में ये मकाम किसी को नसीब नही की उसकी गलती पर भी सवाब मिले सिवाए मुजतहिद के।

यही दो हस्तियां है जिन्हें दीन में तहक़ीक़, तशरीह, तफ़सील का हक़ -ए- कुल्ली हासिल है ये अल्लाह का हम पर एहसाने अज़ीम और फज़ले कबीर है जो तहक़ीक़ का बोझ हम जैसे ना अहेलो पर नही डाला, अल्लाह ने इस उम्मत में बहुत मुजतहिद पैदा फरमाए मगर चार ऐसे हुए जो आफताब ओ माहताब की तरह आसमाने इल्म पर जगमगा रहे है उम्मत में इन मुजतहिदीन के बयान कर्दा मसाइल को फॉलो करना शुरू किया और तीसरी सदी हिजरी में उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने इज्मा कर लिया कि अब रहती दुनिया तक इन्ही चार मज़ाहिब (हनफ़ी/शाफ़ई/मालकी/हम्बली) में से किसी एक कि तक़लीद सब को करनी है इस तरह 1100 साल से तमाम आलमे इस्लाम में मुसलमान चैन ओ सुकून से दीने इस्लाम पर अमल पैरा थे मगर इस चैन ओ सुकून को बर्बाद करने के लिए उम्मत का शीराज़ा बिखेरने और उम्मत को टुकड़ो में बाटने के लिए एक नया फ़िरक़ा जन्म लेता है।

और ये फ़िरक़ा अपना नामकरण अंग्रेज़ो से करवाता है "अहेले हदीस" इस फ़िरके के लोगो ने अफवाओं का बाजार इस तरह गर्म किया की, मुजतहिद क़ुरआन व हदीस के खिलाफ मसाइल बताते है और क़ुरआन व हदीस को छोड़ कर कियास (राय) से मसाइल बताते है,

मुजतहिद की तक़लीद "शिर्क फिर रिसालत" है तमाम हनफ़ी, शाफ़ई, मालकी, हम्बली मुशरिक है इमामो ने दीन के 4 टुकड़े किए अगर उम्मत को एक होना है तो अहेले हदीस बने जा सिर्फ नबी صلی اللہ علیہ وسلم की शरीअत की इत्तेबाअ करते है,

हालाँकि इनकी 3 दिसंबर 2014 को 130 साला सालगिराह मनाई गई ये बेचारे खुद 130 साल में 14 फिरको में बट गए और सब एक दूसरे की तकफीर करते है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह चारो इमामो के मुक़ल्लिदिन 11 सदियों से आपस मे मुहब्बत और भाई चारगी से है क्या कभी किसी हनफ़ी शाफ़ई की आपस मे लड़ाई सुनी?

इस फ़िरके की मुकम्मल तारीख़ आने वाली किताब "तारीखे विक्टोरियन अहेले हदीस" में आप पढेंगे।

इस ना मुराद फ़िरके ने जो सब से बुरा जो काम किया वो ये की अवाम को इन जिबाले इल्म अइम्मा -ए- किराम की तक़लीद से रोक कर तहक़ीक़ का हक़ दिया और खुद क़ुरआन हदीस पढ़ो और तहक़ीक़ करो तक़लीद कर के मुशरिक मत बनो अल्लाह का क़ुरआन नबी صلی اللہ علیہ وسلم की हदीस दो ही चीज़े हुज्जत है इन्ही पर चलो,

इनके इन खुशनुमा नारो से मुतास्सिर हो कर ना जाने कितनों ने अपने ईमान का बेड़ा ग़र्क़ किया तक़लीद व तहक़ीक़ का मुख़्सतर तआरुफ़ आप ने सही से समझ लिया तो उम्मीद है तक़लीद ही करेंगे तहक़ीक़ नही।

सफे पलटिये, किताब पढ़िए और देखिए "अमल बिल हदीस के झुटे दावेदारों का अहादीस से किस क़दर शदीद इख़्तेलाफ़ है"

किताब पढ़िए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए की अल्लाह पाक इसी तरह मुझ से दीने मतीन मज़हबे हंफ़ियत व मसलके आलाहज़रत की खिदमत लेता रहे।

"काम वो ले लीजिए, तुम को जो राज़ी करे;
ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ो दुरूद.."

(سرکار اعلیحضرت بریلوی)

ख़ादिम -ए- हनफियत
कलीम हनफ़ी रज़वी, मुंबई
9146122911/9820672770

मिसाल नंबर 1

नाम के अहेले हदीस (गैर मुकल्लीदीन) जिन का झूठा दावा अमल बिल हदीस का है,पढ़िये उनके उलमा का हदीस के खिलाफ फतवा और हदीस की खुली खुली मुख़ालिफ़त...

हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم:

हज़रत अनस رضي الله تعالی عنه कहेते है मैने रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم और हज़रते अबु बकर व हज़रते उस्मान رضوان الله علیهم أجمعین के साथ नमाज़ पढ़ी मगर मैने उन में से किसी को بسم الله الرحمن الرحيم पढ़ते (ज़ोर से) नही सुना।

(صحیح مسلم، جلد: 1، ص: 172)

अहेले हदीस :

और बिस्मिल्लाह ज़ेहेरी नमाज़ों में (फज्र, मगरिब, ईशा) आवाज़ से और सिर्री नमाज़ों में (ज़ोहर और असर) में आहिस्ता पढ़नी चाहिए।

(عرف الجدی، ص36، الرضته هندیه، ج1، ص101)

मिसाल नंबर 2 :

हनफ़ी मज़हब को ख़िलाफ़े हदीस कहने वाले गैर मुकल्लीदीन खुद हदीस के खिलाफ बोलते और करते है, पढ़िये, हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की हदीस और गैर मुकल्लीदीन के उलमा के उस के खिलाफ फ़तावे

हदीसे रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم :

ह ुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم अपने घर मे जो तस्वीर (जानदार की) देखते उसे तोड़ देते, फाड़ देते।

(صحیح بخاری)

अहले हदीस

विलायती कपड़ो या बर्तनों का इस्तेमाल जिन में तस्वीरे होती है जाएज़ है, और उनकी खरीद व फरोख्त भी जाएज़ है।(فتاوی نذیریه، ج3، ص304)

तब्सिरा :

ज़ी रूह की तस्वीर का हराम होना बहोत सी अहादीस से साबित हैं मगर अहले हदीस के उलमा ने इस हदीस के मुख़ालिफ़त में फतवा दिया, यही वजह है गैर मुकल्लीदीन खुल के तस्वीरें बनवाते है और बहोत से टीवी चैनल चलाते हैं, उन से इस के जवाज़ पर कोई दलील तो माँगे।

मिसाल नंबर 3

हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله تعالی عنه फरमाते है कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم (तीन या चार रकात वाली नमाज़ में) दो रकात पढ कर ऐसे बैठते गोया जलते तवे पर बैठे हैं, (यानी जल्दी उठ जाते थे) हदीस के रावी हज़रत अबू उबैदा कहते है मैंने पूछा के तीसरी रकाअत के लिए, इब्ने मसऊद ने फरमाया : हाँ।

(سنن نسائی، ج1، ص،132)

देखिये हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم तो तीन या चार रकाअत वाली में क़ायदा -ए- उला में सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़ कर उठते ये अमल था आप का, अब नाम के अहेले हदीस के आलीम का फतवा भी पढ़ो।

अहेले हदीस :

पहले क़ायदे में अत्तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और अत्तहिय्यात पढ़े बिना ही (सीधे) दुरूद शरीफ पढ़े तब भी सवाब में इज़ाफ़ा होगा।

(صلاۃالنبی، ص233)

गैर मुकल्लीदो तुम्हारा दावा है हदीस पर अमल का और हक़ीक़त में अमल है हदिस के खिलाफ।

मिसाल नंबर 4

दिन रात बुखारी-बुखारी की रट लगा ने वाले "खर दिमाग" गैर मुकल्लीदीन सही बुखारी की हदीस नही मानते;

हदीसे रसूल صلى الله عليه وسلم :

एक साहब ने हज़रत अनस رضى الله تعالى عنه से पूछा क़ुनूत (जो वित्र की नमाज़ में तीसरी रकात में पढ़ते है) रुकू के बाद पढ़ी जाए या किरत के बाद? आप ने फरमाया किरत के बाद।

(صحيح بخاري، ج2، ص586)

अहले हदीस :

क़ुनूत दुआ है इस हैसियत से रुकु के बाद पढ़ना मुस्तहब है और हाथ उठा कर पढना आला (बेहतर) है।

(فتاوي علمائ أهل حديث، ج3، ص206)

शीशे के घर मे बैठ कर पथ्थर है फेंकते, दीवारे आहनी पर हिमाकत तो देखें!

मिसाल नंबर 5

बड़ो की तक़लीद न करके खुद तहक़ीक़ करने वाले गैर मुकल्लीदीन हज़रात जो रवाफिज़ कि तरह दिन रात अइम्मा अरबाह पर तबर्रा करते है और खुसुसियत से फ़िक़्हे हनफ़ी से उनका ख़ुदा वास्ते का बैर (दुशमनी) हैं,

और ये चाहते है कि फ़िक़्हे हनफ़ी की बाला दस्ती खत्म कर दी जाए, इस लिए भोली भाली अवाम को फ़िक़्ह के आधे अधूरे मसाइल दिखाकर गुमराह करते है। फ़िक़्हे हनफ़ी को हदीस के खिलाफ बताने वाले गैर मुकल्लीदीन खुद हदीस के असल दुश्मन हैं।

हदीसे रसूल صلى الله عليه وسلم :

1) उमूल मोमिनीन सैय्यदा आईशा सिद्दीका رضي الله تعالى عنها फरमाती है अल्लाह के महबूब صلى الله عليه وسلم ने फरमाया जिसे नमाज़ के दौरान उल्टी हो या नकसीर फूटे या मज़ी निकल आए उसे चाहिए के जाकर वुज़ू करे।

(سنن ابن ماجه، ص87)

2) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़िज़ कहते है हज़रत तमीम दारी رضي الله تعالى عنه ने फरमाया हर बहने वाले खून (के निकलने) से वुज़ू (लाज़िम होता) हैं।

(دارقطنی، ج1، ص157)

अहले हदीस

1) खून निकलने और उल्टी होने से वुज़ू नही टूटता।

(عرف الجاری، ص14)

2) बदन से खून निकलने से वुज़ू नही टूटता।

(نزول ابرار اور دستور المتقی، ص77)

गैर मुकल्लीदीन की हदीस दुश्मनी की कई मिसाले आप पढ़ चुके क्या इस के बाद भी आप उन्हें अहले हदीस (हदीस वाला) मानते है?

सुना जंगल रात अंधेरी छायी बदली काली है,
सोने वालो जागते रहियो चोरों की रखवाली है!

(सरकारे आला हज़रत رضوان الله عليهم أجمعين)

मिसाल नंबर 6

गैर मुकल्लीदीन दीन में सिर्फ दो ही चीज़ों को हुज्जत (दलील) मानते है;

1) क़ुरआन

2) हदीस

उनका कहेना है अल्लाह त'आला ने दो हाथ दिए है एक क़ुरआन के लिए और दूसरा हदीस के लिए है, तीसरा हाथ है न तीसरी चीज़।

हम पूछते है दो हाथ अल्लाह ने इसी लिए दिए ईस की कोई दलील क़ुरआन और हदीस से?

फिर ये भी दिखाना के खाने वाला हाथ (सीधा हाथ) अगर क़ुरआन के लिए है तो क्या पाखाने वाला हाथ बुख़ारी के लिए है?

अल्लाह त'आला ने दो कान दिए एक एक क़ुरआन सुनने के लिए दूसरा हदीस के लिए,

अल्लाह त'आला ने दो आंखे दी, एक क़ुरआन देखने के लिए दूसरी हदीस के लिए, हम पूछते है अल्लाह ता'आला ने ज़बान तो एक ही दी है, वो किस लिए?

दिन रात चारों इमामों पर भोकने के लिए?

दीन मे सिर्फ क़ुरआन व हदीस ही हुज्जत है, ये उनका दावा है अब उनका हाल भी देखे,

हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत इकरमा رضي الله تعالی عنه से रिवायत है कुछ अहेले इराक़ इब्ने अब्बास رضي الله تعالی عنه के पास आए और कहने लगे ए इब्ने अब्बास! क्या आप जुमु'आ का ग़ुस्ल वाजिब समझते है?

फरमाया : नही, अलबत्ता ग़ुस्ल ज़्यादा पाकीज़गी का सबब है और जो करे उस के लिए बेहतर है और जो न करे उस के लिए वाजिब नही।

(سنن ابي داود، ج 1، ص 51)

हदीस के दुश्मनों का हदीस के खिलाफ फतवा देखे,

अहले हदीस :

1) और जुमु'आ के लिए ग़ुस्ल वाजिब है।

(نزول ابرار، ص 25)

2) जुमु'आ के दिन ग़ुस्ल करना वाजिब है।

(دستور المتقی، ص 57)

मिसाल नंबर 7

मज़ाहिबे अरबाह (हनफ़ी, शाफ़ई, मालकी, हम्बली) इन चार में से किसी एक कि पैरवी पर

बारह सौ (1200) साल से ज़ाईद के अरसे से पूरी मिल्लते इस्लाम का इज्मा जो चुका है, फिर एक फिरका अग्रेज़ों ने पैदा किया जो मुसलमानो को इन चारो मज़ाहिब की इत्तेबाअ व तक़्लीद से रोक कर ला मज़हब (बे दीन/गैर मुकल्लीदीन) बनाने लगा,

ये लोग फ़िक़्ह के मुनकिर है पूरे दीन को सिर्फ क़ुरआन व हदीस से समझने की दावत देते है और तारीख गवाह है जो भी इस बे दीन गिरोह में शामिल हुआ आखिर वो मुनकिरे हदीस हुआ और बे दीन हो कर ही मरा...

मिर्ज़ा गुलाम क़ादयानी पहले अहेले हदीस था फिर नबूवत का झूठा दावा कर के काफिर मुरतद हुआ, मौलवी अब्दुल हक़ बनारसी पहले अहले हदीस था फिर शिया हुआ और मुनकिरे क़ुरआन हो कर काफिर व मुरतद मरा, अब्दुल्लाह चकड़ालवी अहले हदीस था फिर मुनकिरे हदीस हुआ, गुलाम परवेज़ अहले हदीस था फिर मुनकीरे हदीस हुआ, सर सय्यद पहेले अहले हदीस था फिर मुल्हिद (जन्नत व जहन्नम, फरिश्तों और जिन्नात का इनकार किया) हो कर मरा।

इस कि तवील तारीख है के गैर मुकल्लीद होने के बाद कौन क्या क्या बना जिसे انشاء الله आप हमारी किताब "तारीख विक्टोरियन अहले हदीस" में पढ़ेगे।

आखिर ऐसा क्यों है के अहेले हदीस बनने वाला मुनकिरे हदीस व क़ुरआन हो कर काफिर मरता है?

इसकी यही वजह है के लोग हक़ीक़तन अहले हदीस नही बल्कि दुश्मने हदीस है, देखिये उनका अहादीसे रसूल صلى الله عليه وسلم से खुला हुआ इख़्तेलाफ़;

हदीसे रसूल صلى الله عليه وسلم :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते है अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم ने फरमाया तुम में से जब किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाए तो उसे चाहिए कि सही के लिए

सोच विचार करे फिर इस पर अपनी नमाज़ पूरी करे और सलाम फेरकर (एक तरफ) दो सजदे करे।

(صحیح بخاری، ج1، ص58)

सही बुखारी का हवाला जिसकी रात दिन रट लगाते है उसके खिलाफ उनके आलीम का क़ौल देखे;

अहले हदीस :

सहव यानी नमाज़ में भूल जाने से दो सजदे सलाम से पहले अदा करने होते है।

(صلاۃ النبی، ص35)

निज़ामे मैकदा इस अंदाज से बदला साकी
उन्ही को जाम मिलते है जिन्हें पीना नही आता

मिसाल नंबर 8

गैर मुकल्लीदीन को कभी इस बात की तौफ़ीक़ नही हुई की किसी बे नमाज़ी को नमाज़ की दावत दे, किसी जुवारी, शराबी, ज़ानी, सूदखोर को उन हराम कामो से रोके, हाँ इस मे बहुत आगे है की किसी मुसलमान को जब मस्जिद में आता देखते है, नमाज़ों का पाबंद देखते है तो उस के दिल मे ये वसवसा डालते है के साहब आप जो नमाज़ पढ़ रहे है ये हदीस से साबीत ही नही है, ये तो कूफ़ा से अबू हनीफा ने शुरू की (معاذ اللہ) और मक्का मदीना वाली नमाज़ नबी वाली नमाज़ तो वो है जो हम पढ़ते है।

(ये भी खुला हुआ झूट है, हरमे काबा में आज भी बीस (20) रकाअत तरावीह होती है ये आठ (8) पढ़ते है।

जब वो बेचारा कहता है साहब हम तो खानदानी इमामे आज़म के मुकल्लीद है उनकी फ़िक़्ह पर अमल करते है, तो झटसे कहते है अजीब बात है कलमा नबी का पढ़ते हो और बात अबू हनीफा

क्या कब्र में इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में पूछा जाएगा?

गरज़ इसी तरह के मकरो फरेब से अच्छे खासे नमाज़ी मुसलमान को फ़ितने में डाल कर ला मज़हब (गैर मुकल्लीद) बनाते है।

बेचारा उन्हें हदीस वाला समझ कर उनके गिरोह में शामिल होता है मगर उसे क्या पता अगर रुए ज़मीन पर हदीस का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो यही ना मुराद गिरोह सन 1884 ईस्वी में में पैदा होने वाला अंग्रेज़ी गिरोह है।

अगर अवाम सही से मुताला करे और उलमा की सोहबत इख़्तेयार करे तो उन्हें पता होगा अहले हदीस का अमल हदीस पर कितना है।

हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अदुल्लाह बिन अब्बास رضي الله تعالی عنه फरमाते है अल्लाह पाक ने तुम्हारे नबी की ज़बानी तुम पर हज़र (मुसाफिर न कि हालत में) चार और सफर में दो और खौफ में एक रकात फ़र्ज़ की।

(صحیح مسلم، ج1، ص241)

चार रकात वाली नमाज़ ज़ोहर, असर, ईशा, की मुकीम पर पूरी और मुसाफिर पर आधी और खाईफ पर एक हैं, ये फैसला नबी का है सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, उस के खिलाफ गैर मुकल्लीद उलमा के फतवे देखे

अहले हदीस

1) मुसाफिर के लिए चार रकात वाली नमाज़ दो पढ़ना अफ़ज़ल है अगर पूरी पढ़े तो भी जाएज़ है। (کنزالحقایق، ص34)

2) मुसाफिर के लिए कसर (आधी) है लेकिन पूरी पढ़ना मना भी नही।

(صلاۃالنبی، ص287)

गैरों से कहा तुम ने, गैरों से सुना तुम ने,

कुछ हम से कहा होता, कुछ हम से सुना होता

मिसाल नंबर 9

हर कलमा गो (कलमा पढ़ने वाला) मुसलमान नही! इस्लाम सिर्फ ज़बान से तौहीद व रिसालत और आख़िरत के इकरार का नाम नही,

बल्कि दिल से इसकी तस्दीक और अमल से इज़हार होना भी ज़रुरी है;

ये है शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना

लोग आसान समझते है मुसलमाँ होना

(डॉक्टर इक़बाल लाहोरी)

जो ज़बानी मुसलमान है जैसे हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के ज़माने पाक में भी थे जिन्हें क़ुरआन ने मुनाफ़ीकिन कहा और उनके साथ सख्ती बरतने का हुक्म दिया बल्कि ऐसे मुसलमान मर भी जाएं तो उनके साथ क्या सुलूक होना चाहिए क़ुरआन इरशाद फरमाता है।

क़ुरआने करीम :

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

और उनमें से कभी किसी की मैंय्यत पर नमाज़ पढ़ना न उसकी क़ब्र पर खड़े होना।

(پارہ،10، سورہ توبہ، آیت84)

और इस ज़माने में भी कुछ ऐसे इस्लाम के दावेदार है जैसे राफ़ज़ी (शिया), अहले क़ुरआन (हदीस के मुन्किर) क़ादियानी (मिर्ज़ा गुलाम क़ादियानी को नबी मानते है) देवबन्दी (अपने बातिल अक़ाइद की बिनाह पर खारीजे इस्लाम है) अहले हदीस (हदीस के दुश्मन) ये सब अपने अक़ाइद की बिनाह पर खारीजे इस्लाम है,

तमाम बद मज़हबो, गुमराहों, बे दीनो से हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ देने का हुक्म क़ुरआन व हदीस से मिलता है

आईए देखे हदीस पर अमल के झूठे दावेदारो का हदीस से कितना शदीद इख़्तेलाफ़ है

हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله تعالی عنه फरमाते है हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया अपने इमाम बेहतरीन लोगो को बनाओ क्योंकि इमाम तुम्हारे और ख़ुदा के बीच मे नुमाइंदा है।

(سنن کبری، بیہقی، ج3، ص189)

नाम के अहले हदीस (फिरका लामज़हब) जो हदीसो का ठेकेदार बना फिरता है और अहादीस पर अपना पैदाइशी हक़ बताता है ज़रा उन झुटे दावेदारों का इस हदीस की खुली मुख़ालेफ़त करना देखो।

अहले हदीस

1) मेरा मज़हब और अमल है कि हर कलम गो की इक़्तेदा (नमाज़ में) जाएज़ है चाहे मिरज़ाई हो या शिया।

(اخبار اهل حدیث، 21,اکتوبر سن1915ء)

2) एतेक़ादी फितूर (अक़ीदे में खराबी) की बिनाह पर अगर इमाम की नमाज़ क़ुबूल न हो तो हम मुकतदियों की हो जाती है।

(فتاوی علمائے اہل حدیث، ج2، ص 189)

शिया और मिर्ज़ाइ (क़ादियानी) के बदतरीन काफ़िर होने पर पूरे आलमे इस्लाम का इजमा -ए- कतई है, क़ुरआन व अहादीस की रोशन दलीलें क़ुफ़्रो इरतीदाद पर शाहीद है, वो गैर मुकल्लीदीन के नज़दीक इस काबिल है कि उन की इक़्तेदा की जाए, हदीस में तो फ़ासिक़ को इमाम बनाना गुनाह फरमाया है और ये काफिर को इमाम बना रहे है।

अब बताइए अहले हदीस है या हदीस के दुश्मन?

ना तुम सदमे हमे देते, ना हम फरियाद यूँ करते।
ना खुलते राज़े सर्बस्ता ना युँ रुसवाईयाँ होती।

मिसाल नंबर 10

तमाम इंसानो की सलाह व फलाह हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की इत्तेबाह में है, चार इमामो की तक़लीद दर हक़ीक़त हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की हदीस की इत्तेबाह है चूँकि ये अइम्मा -ए- दीन व क़ुरआन व हदीस ज़्यादा जानने वाले, इस का माना व मफ़ाहिम को सही समझने वाले है,
अहले हदीस (गैर मुकल्लीदीन/ ला मज़हब) जो किसी इमाम की तक़लीद न करते और सीधे क़ुरआन व हदीस पर चलने की दावत देते है ज़रा उनका हाल भी देखे की किस कदर हदीस के मुताबिक है।

हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم:

1) हज़रत इब्ने उमर رضي الله تعالی عنه कहते है हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया जिस ने वुज़ू किया और अल्लाह का नाम पुकारा ये इस के सारे बदन की तहारत है और जिस ने वुज़ू में अल्लाह का नाम नही लिया ये सिर्फ उस के आज़ाए वुज़ू की तहारत है।

(دارِ قتنی، ج1، ص74)

2) इमाम हसन बसरी फरमाते है जब कोई वुज़ू करे तो बिस्मिल्लाह पढ़े और ना पढ़ी तब भी वुज़ू हो गया।

(مصنف ابن شیبه، ج1، ص 30)

अहले हदीस

1) जो बिस्मिल्लाह नही पड़ता उनका वुज़ू नही होता।

(صلاة النبی، ص68)

2) बगैर बिस्मिल्लाह के वुज़ू नही।

(فتاوستتاریه، ج2، ص19)

इमाम के पीछे सूराह फ़ातेहा के बिना नमाज़ नही होती और बिना बिस्मिल्लाह के वुज़ू नही होता इन के ये फतावे ख़िलाफ़े हदीस है;

ये लोग अहले हदीस ही है या हदीस के दुश्मन देख ले

मिसाल नंबर 11

हज़रत शेख सादी शीराज़ी क्या खूब फरमाते है,

"ख़िलाफ़े पयम्बर कसे राह ग़ज़ीद,

की हरगिज़ बमन्ज़िल ना खवाहद रसीद!

तर्जुमा :

वो शख्स पयम्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा صلی اللہ علیہ وسلم के रास्ते से हट कर चले वो हरगिज़ अपनी मन्ज़िल को नही पहुँच सकता।

क्या समझे आप सिर्फ़ राहे पयम्बर पे चलने का दावा करना और अमल उसके खिलाफ जिसका भी होगा उसका ये ज़ुबानी जमा ख़र्च उसे कही काम नही आएगा।

अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमा'अत हनफ़ी बरेलवी इमामे आज़म अबु हनीफ़ा رضي الله عنه के सच्चे मुक़ल्लिद उनकी तक़लीद का हार गले मे डाल कर सही मानो में क़ुरआन-ओ-हदीस पर अमल करते है, गैर मुक़ल्लिदीन जो सिर्फ़ हदीस पर अमल के दावेदार है उनके क़ौल -ओ- अमल का खुला हुआ तज़ाद देखे।

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

1) हज़रत बुरीदा फ़रमाते है हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने 3 मरतबा फरमाया वित्र हक़ (वाजिब) है, जिसने वित्र ना पड़ी वो हम में से नही।

(سننے ابو داؤد، ج1، ص201، مستدرك حاكم ج1، ص305)

2) हज़रत अबू अय्यूब अंसारी رضي الله عنه

फ़रमाते है हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया वित्र हक़ है वाजिब है हर मुसलमान पर।

(در قطنی، ج2، ص22)

अहलेहदीस

वित्र हक़ है हर मुसलमान पर लेकिन वाजिब नही, अलबत्ता उसकी क़ज़ा साबित है।

(عرف الجدی، ص33)

फैसला करें हदीस से अहेले हदीस का कितना इख़्तिलाफ़ है

मिसाल नंबर 12

गैर मुक़ल्लिदीन (ला मज़हब) हमसे हनफियत के हक़ ओ सही होने पर बाद में बात करे, हनफ़ी फ़िक़्ह के मसाइल मुताबीके हदीस है या ख़िलाफ़े हदीस इसे बाद में समझे, मगर वो जिस जमा'अत से तआल्लुक़ रखते है यानी अहेले हदीस इसका मुता'अला पूरी ईमानदारी से एक मर्तबा फिर करे तो उन्हें मालूम होगा की ये गिरोह अहले हदीस नही मुन्किर -ए- हदीस का है।

नारा लगाते है, अहेले हदीस

के दो उसूल फरमाने खुदा और फरमाने रसूल صلی اللہ علیہ وسلم

और अब देखिये हदीस क्या है और इनका अमल क्या है?

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अनस बिन मालिक رضي الله عنه फ़रमाते है मैने रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को वुज़ू फ़रमाते देखा आप صلی اللہ علیہ وسلم के सर मुबारक पर कटारी पगड़ी (इमामा शरीफ) थी, आप ने पगड़ी के नीचे हाथ डाल कर सर के अगले हिस्से का मसह फरमाया।

(سنن ابو داؤد، ج1، ص19)

इनके उलमा का फतवा देखिए

अहेले हदीस

1) सिर्फ पगड़ी पर भी मसह काफी है।

(فتویٰ علم اہلِ حدیث، ج1، ص275)

2) तन्हा पगड़ी पर भी मसह करना सही है

(الروزہ الہندیہ، ج 1، ص 39)

मिसाल नंबर 13

देवबंदी हमसे फातिहा अल-त्तआम (खाने पर फातिहा पड़ना) पर लड़ते है

और गैर मुक़ल्लीदीन फातिहा खलफूल इमाम (इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढना) पर लड़ते है, गैर मुक़ल्ल्दीन के पास ऐसी कोई सही, मारूफ, सरीह, गैर मुता'आरिज़ हदीस नही जिस से वो साबित कर सकें की इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढना ज़रूरी है, बस ज़िद और हट धर्मी है, नाम तो रख लिया अहेले हदीस मगर अमल सब हदीस के खिलाफ

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه फ़रमाते है हुज़ूर صلی اللہ وسلم ने फरमाया इमाम इस लिए मुक़र्रर किया जाता है की उसकी इक़्तिदा की जाए,

सो वो जब तकबीर कहे तो तुम भी कहो जब वो किरअत करे तो तुम चुप रहो, और जब वो سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहे तो तुम اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ कहो

(سنن نسائی ل، ج 1، ص 107)

हदीस की छे सही किताबो में से एक किताब सुनने निसाई में ये रिवायत है, इसके खिलाफ हर गैर मुक़ल्लिद का अमल है और इनके अल्लामा नवाब वहीदुद्दीन खान लिखते है,

अहेले हदीस

सूरह फातिहा का पड़ना ज़रूरी (फ़र्ज़) है इमामो मुक़्तदी, मुफरीद व मसबूक सब के लिए।

(نزول الابرار، ج 1، ص 75)

अहनाफ़ को हदीस का मुखालिफ बताने वालों! पहेले घर की खबर लो हदीस के दुश्मन तो ये नाम निहाद अहेले हदीस ही है।

"सिर्फ दस्तार से इज़्ज़त नही मिलने वाली,

लोग किरदार की जानिब भी नज़र रखते हैं।"

मिसाल नंबर 14

"पढ़े ना लिखे नाम मुहम्मद फ़ाज़िल उर्दू ज़ुबान का"

ये एक मशहूर मुहावरा है,,

कुछ लोगो ने अपना नाम अहेले क़ुरआन रखा वो दीन में हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को हुज्जत नही मानते जब कि क़ुरआन से हदीस की हुज्जियत साबित है, तो वो अहले क़ुरआन कैसे हुए? जब कि क़ुरआन ही की नही सुनते, वो अपने आप को अहले क़ुरआन कहेते है और हम उन्हें मुन्किरे हदीस कहेते है, अहले क़ुरआन तो वो होगा जो क़ुरआन की मानेगा, कुछ लोगो ने अपना नाम अहेले हदीस रखा (हदीस पर चलने वाले) इस फिरके ने क़ुरआन के साथ हदीस की हुज्जियत को माना लेकिन अल्लाह के क़ुरआन और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की अहादीस से इज्मा -ए- उम्मत और कियासे मुजतहिद को मानना लाज़मी है, क़ुरआन और हदीस से उलमा व फुकहा की तक़लीद साबित है, ये लोग नही मानते, भला बताइए वो शख्स कैसे अहेले हदीस हो सकता है जो क़ुरआन और हदीस की न माने?

इस लिए हम इन्हें मुन्किरे फ़िक़्हा और मुन्किरे तक़लीद (गैर मुक़लीद) और ला मज़हब के नाम से जानते है,

जिस तरह आलीम नाम रखने से कोई आलीम नही होता, ठीक उसी तरह अहेले हदीस नाम रखने से कोई अहेले हदीस नही हो सकता अहेले हदीस वो है जो हदीस की माने और इन बे-चारे गैर मुक़ल्लीदीन का हदीसों से ही इख़्तिलाफ़ है,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अबु हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया, जब कोई तुम में से

क़ज़ाए हाजत (संडास, पेशाब) के लिए बैठे तो वो हरगिज़ हरगिज़ किब्ला की तरफ न पीठ करे न मुँह।

(صحیح مسلم، ج1، ص131)

ये हदीस की दूसरी बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ है, जिसमे हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का ये फरमान मौजूद है, मगर नाम के अहेले हदीसों के उलमा इस हदीस के खिलाफ फतवा देते है और वो सब अमल करते है,

अहेले हदीस :

इस्तीनजा के वक़्त किब्ला की तरफ पीठ करना मकरूह नही।

(نزول الابرار، ج1، ص53، دستور المتقی، ص45)

"आइना क्या बताएगा मुझसे मिलाओ आँख,
मेरी नज़र कसौटी है हुस्नो जमाल की!"

मिसाल नंबर 15

बातिल फिरको ने अपने नाम ऐसे रखे है जिसे देख कर मालूम होता है बड़े दीनदार है, ऐसे ही इस ज़माने में अहेले हदीस (गैर मुक़ल्लिदीन) फिरका हदीस पर चलने वाला नाम रखा और दावा भी हदीस पर चलने का है,
क्या वाकई ये अहेले हदीस है?

रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की हदीस (फरमान) और इनके जमा'अत के उलमा के फतवो का जायज़ा ले,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते है, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की हदीस हसन सही है, और इसी पर अक़्सर अहेले इल्म का अमल है वो फ़रमाते है : जब आदमी नमाज़ में क़सदन (जान कर) या सहवन (भूल कर) बात करे तो नमाज़ दोबारा पढ़े।

(جمع ترمذی، ج 1، ص92)

ये हदीस सही'ह है और हदीस की सही छे किताबो में से एक किताब तिर्मिज़ी में है, अब इसके खिलाफ गैर मुक़ल्लिद आलीम का फतवा पढ़िए!

अहेले हदीस :

1)भूल कर बात चीत करने से नमाज़ नही टूटती।

(عرف الجدی، ص23)

2) अगर इमाम व मुक़तदी भूल से नमाज़ में गुफ्तगू करे तो भी नमाज़ में कोई नुकसान नही होता

(دستور المتقی، ص122)

आप ही देख लीजिए हदीस पर अमल का इनका दावा कितना सच्चा है!

मिसाल न. 16

नाम के अहेले हदीसों का हदीसे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم से किस क़दर इख़्तेलाफ़ हैं गुज़िश्ता 15 मिसालों में आप ने पढ़ लिया होगा,

डॉ. जोकर नाइक अहेले हदीस जमा'अत का नुमाइन्दा और मुबल्लिग जो आलमी सतह पर गुमराहियत का प्रचार कर रहा है, आप ने अक्सर उस के जलसों में देखा होगा की काफिरों के हाथ मे क़ुरआन दिया जाता है और इसे ये कारे सवाब जानते है आईये देखते है हदीसें रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की रौशनी में,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रते हक़ीम बिन हिज़ाम से रिवायत है जब हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم उन्हें यमन के हाकिम

बना कर भेजा तो फरमाया :

"ए हाकिम! तु क़ुरआन को हाथ ना लगाना मगर इस हालत में की तुम पाक रहो।

(مستدرك حاكم، ج3، ص485، در قطنی، ج1، ص122)

नबीए पाक صلی اللہ علیہ وسلم के इस फरमान (हदीस) के खिलाफ गैर मुक़ल्लिद आलीम नवाब वहिदुज़्ज़मा खान का फतवा देखीए,

अहेले हदीस :

1) क़ुरआन छूने के लिए तहारत ज़रूरी नही।

(نزول ابرار، ج1، ص9)

2) बे वुज़ू शख्स के लिए क़ुरआन छूना जायज़ है।

(عرف الجدی، ص15)

फ़िक़्हे हनफ़ी पर उंगली उठाने से पहले हदीस के ठेकेदार गैर मुक़ल्लिदीन अपने घर की तो खबर लें,

"इन बारिशो से दोस्ती अच्छी नही फ़राज़,

कच्चा तेरा मकान है कुछ तो खयाल कर।"

मिसाल न. 17

आसानी और खवाइश -ए- नफ़्स पर अमल का नाम है फ़िरक़ा -ए- अहेले हदीस, और इस के चक्कर मे ना जाने कितनी सहीह हदीसों का इनकार कर देते है, ये भले अपने को अहेले हदीस कहे मगर हक़ीक़तन ये लोग मुनकिर -ए- हदीस है,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

इब्ने अब्बास رضي الله عنه से रिवायत है एक शख़्स हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की खिदमत में आया और अर्ज़ की मुझ पर एक बड़ा जानवर (ऊंट या गाय) वाजिब हो चुका है, मालदार हूँ और मुझे बड़ा जानवर मिल नही रहा है (ताकि सात लोगों की कुर्बानी हो सके) अब मैं क्या करूँ?

हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया सात बकरियाँ खरीद लो और क़ुर्बानी करो।

(سنن ابن ماجہ، صفحہ۔۲۲۶)

यानी एक शख़्स की तरफ से एक ही बकरी लगेगी एक मे सात नही हो सकते, इस के खिलाफ गैर मुक़ल्लीद आलिम का फ़तवा और उन की पूरी जमाअत का अमल देखें,

अहेले हदीस :

एक बकरी बहोत से लोगों की तरफ से क़ुर्बानी में काफी है।

(عرف الجادی، صفحہ۔۲۳۴)

क्या वाकई ये लोग अहेले हदीस है?

नहीं! ये वो शैतानी गिरोह है जो लोगों को क़ुरआन व सुन्नत से दूर कर के शैतान का मुक़ल्लीद बनाना चाहता है।

हर काम मे आसानी बल्कि ये लोग तो क़ुर्बानी भी चार दिन करते है इतना ही नहीं अब उन का नया फतवा है कि मुर्गी की कुर्बानी भी जाइज़ है। (معاذ اللہ رب العالمین)

मिसाल न. 18

सरकार -ए- आज़म صلی اللہ علیہ وسلم की अहादीस का अगर वाक़ई कोई दुश्मन है तो यही गैर मुक़ल्लीद (नाम के अहेले हदीस) है।

नमाज़े जुमा और ईदैन (दो ईदे) देहात में जाइज़ नही फ़िक़्हे हनफ़ी का ये मसअला इमामे आज़म अबु हनीफ़ा رضي الله عنه ने घर से बयान नही फरमाया बल्कि क़ुतुब -ए- अहादीस में इस कि रिवायत मौजूद है,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

1) हज़रत आइशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها फरमाती है, बाहर के लोग मदीना में नमाज़े जुमा के लिए अपनी मनाज़िल (गांव/देहात) से बारी बारी आते।

(صحیح بخاری، جلد۱، صفحہ۱۲۳)

2) अबु अब्दुर्रहमान बिन सम'हा हज़रत अली से रिवायात करते है, फरमाया हज़रत अली رضي الله عنه ने जुमा और तशरीक़ (ईद) जाइज़ नही सिवाए बड़े शहेर के।

(مصنّف ابن ابی شعبہ، جلد۲، صفحہ۱۴۸)

पहेली रिवायत तो सहीह बुखारी की है दूसरी मुहद्दिस इब्ने अबी शैबा की जो इल्मे हदीस में इमाम बुखारी के दादा उस्ताज़ है उन की मुसन्नफ़ में है,
इसी लिए उलमा -ए- अहनाफ़ फरमाते है जुमा और ईदैन देहात में जाइज़ नहीं।

मगर गैर मुक़ल्लीद्दीन के शैखुल कुल मियां नज़ीर हुसैन दहेलवी इमाम फ़िरक़ा -ए- अहेले हदीस फरमाते है,

अहेले हदीस :

जुमा हर जगह फ़र्ज़ है ख़्वाह शहेर हो या गांव और ख़्वाह बड़ा गांव हो या छोटा गांव।

(فتاویٰ نظریہ، جلد۱، صفحہ۵۷۷)

उलझा है पाव यार का ज़ुल्फ़ें दराज़ में,
लो आप अपने दामन में सैयाद आ गया।

मिसाल न. 19

अहेले सुन्नत हनफ़ी बरेलवी मुसलमानों से उन के हर अमल पर क़ुरआन और सहीह हदीस से दलील तलब करने वाले गैर मुक़ल्लीदीन हज़रात, ऐसे मालूम होता है ये लोग वाक़ई क़ुरआन और सहीह हदीस पर अमल करते है तभी तो हम से भी इसी से दलील का मुतालबा होता है, मगर आप की हैरत की इन्तेहा नही रहेगी जब आप हक़ीक़त का दूसरा रुख जानेंगे,
मिसाल मशहूर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते है यही हाल इस फ़िरक़ा अहेले हदीस के लोगों का है,हुम अहनाफ़ के नज़दीक मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा जाइज़ नही, और ये लोग पढ़ते है आइये देखते है हक़ीक़त में हदीस वाला कौन है?

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अबु हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है हुज़ूर नबीए करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया,

जिस ने मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ी उस के लिए कोई अज्र (सवाब) नहीं।

(سنن ابی داؤد، جلد۱، صفحہ۹۸، سنن ابن ماجہ، صفحہ۱۱۰، مصنّف عبد الرزاق، جلد۳، صفحہ۵۸٦)

इल्मे हदीस की सब से पहेली किताब मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और हदीस छे सहीह किताबों में से दो अबु दावूद और इब्ने माजा'ह के हवाले जिल्द व सफा लिखा गया देखें,

मशहूर गैर मुक़ल्लीद आलिम अब्दुस्सतार फरमाते है,

(فتاویٰ ستّاریہ، جلد۲، صفحہ۲۵)

कागज़ का ये लिबास बदन से उतार दे,

पानी बरस गया तो कहाँ मुंह छुपाओगे।

मिसाल न. 20

नाम निहाद फ़िरक़ा अहेले हदीस (गैर मुक़ल्लीदीन) जिन का झूठा दावा हदीस पर चलने का है, उन के दावे और अमल का तज़ाद आप पिछली 19 मिसालों में पढ़ चुके है,

अल्लाह के प्यारे महेबूब हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का फरमान है;

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अनस बिन मालिक رضي الله عنه फरमाते है कि, नबीए करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया, जो शख़्स नमाज़ पढ़ने भूल जाए या सोते में छूट जाए तो उस का कफ़्फ़ारा ये है कि जब याद आए पढ़ लें (क़ज़ा करें)

(صحیح مسلم، جلد۱، صفحہ۲۴۱)

ये सहीह हदीस है और सहीह मुस्लिम में है जो हदीस आकी छे सहीह किताबों में शामिल है, और जिस का नंबर बुखारी के बाद है, हम अहनाफ़ से गैर मुक़ल्लीदीन इन्हीं क़िताबों से हदीस का मुतालबा करते है और ये लोग इन्हीं किताबों की अहादीस की मुखालिफत करते है।

अहेले हदीस :

बुलुग़ (बालिग़ होने के बाद) जो नमाज़े छुटी हो, जो आसानी से अदा हो सकती हो तो कर ली जाए, जो ज़्यादा मुद्दत की हो जिस का अदा (क़ज़ा) करना मुश्किल हो तो छोड़ दें।

(فتویٰ علماۓ اہلِ حدیث، جلد۱، صفحہ۴۱۵)

इसीबलिये हम कहते है अहेले हदीस आसानी का मज़हब है जो अइम्मा अरबाह (चार इमाम) का इत्तेबाअ नही करते बल्कि अपने नफ़्स का इत्तेबाअ करते है,

बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले,

राज़ आप के तो बस हम ही जानते है।

मिसाल न. 21

अहेले सुन्नत व जमाअत हनफ़ी बरेलवी से हर माअमले में हदीस की छे सहीह किताबों से हवाले तलब करने वाले गैर मुक़ल्लीदीन ना इमाम बुखारी की सुनते है ना सीहा सित्ता (हदीस की छे किताबें) की हदीसों पर अमल करते है,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अबु हुरैरा رضي الله عنه फरमाते है रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया, तुम्हारे बर्तन की पाकी ये है जब कुत्ता उस मे मुंह डाले, तो उसे सात मर्तबा धोएं, पहेली मर्तबा मिट्टी से मांझे।

(صحیح مسلم، جلد۱، صفحہ۱۳۷، سنن ابی داؤد، صفحہ۱۱۰)

इस फरमाने रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की खुली मुखालिफत गैर मुक़ल्लीदीन की फ़िक़्ह में देखें

अहेले हदीस :

लोगों ने कुत्ता और खिंजीर और उन के झूठे के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ किया है, ज़्यादा राजे'ह यहीं बात है कि उन का झूठा पाक है।

(نزول الابرار، جلد۱، صفحہ۵۰)

तब्सिरा :

ये है नाम निहाद गैर मुक़ल्लीदीन की फ़िक़्ह के भयानक मसाइल,

हनफ़ी फ़िक़्ह पर उंगली उठाने वालों की जमाअत में ना सिर्फ कुत्ता, सुवर का झूठा पाक है बल्कि वो खुद भी पूरे पूरे पाक है, अफसोस देवबंदियों ने कव्वे को हलाल किया अहेले हदीस ने कुत्ते और सुवर, हदीस पर अमल का झूठा दावा और उस की खुली मुखालिफत दोनो आप के सामने है, फैसला फरमाए।

मिसाल न. 22

रसूले आज़म صلی اللہ علیہ وسلم के फरामीन से मुंह मोड़ने वाले गैर मुक़ल्लीदीन बज़ाहिर अवाम में बड़े तनतने से ये दावा करते नज़र आते है कि हम क़ुरआन और हदीस पर चलने वाले एक ठेकेदार है, जब कि देखे उन का हदीस से भी इख़्तेलाफ़ है वो भी हदीस की सब से ऊंची और सहीह किताब बुखारी से,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत अनस बिन मालिक رضي الله عنه से रिवायत है, हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم जुमा उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। (ज़वाल के बाद)

(صحیح بُخاری، جلد١، صفحه١٢٣)

इस हदीस के खिलाफ गैर मुक़ल्लीदीन क़ौल व अमल देखें,

अहेले हदीस :

1) जुमा ज़वाल से पहले जाइज़ है

(الروضت ہندیه، جلد١، صفحه١٣٧)

2) जुमा का वक़्त ईद की नमाज़ के अव्वल वक़्त से शुरू हो जाता है।

(نزول الابرار، جلد١، صفحه١٥٦)

मिसाल न.23

अल्हम्दुलिल्लाह (इमामे आज़म अबु हनीफ़ा رضي الله عنه के मुक़ल्लीदीन) का अमल क़ुरआन

व सुन्नत, इज्मा व कियासे शरई पर है, मगर अहेले हदीस जो ये नारा लगाते है;

अहेले हदीस के दो उसूल,

फरमाने ख़ुदा, फरमाने रसूल।

उन का ये नारा सरासर झूठा है, ना वो चार इमामों को मानते है, ना अल्लाह व रसूल की,

आए! अपनी जमाअत को हदीस के मुताबिक व मुआफ़िक कहेने वाले का हाल देखें।

हदीस -ए- रसूल صلى الله عليه وسلم :

हज़रत अबु हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूल صلى الله عليه وسلم ने फजर के बाद सूरज निकलने तक और असर के बाद सूरज डूबने तक नमाज़ (नफ़्ल/सुन्नत) पढ़ने से मना फरमाया।

(صحیح بخاری، جلد۱، صفحہ۸۲، صحیح مسلم، جلد۱، صفحہ۲۷۵)

ये हदीस दो बड़ी किताब बुखारी व मुस्लिम में है जिन्हें सहीहैन कहा जाता है,

अहेले हदीस :

1) अगर ये सुन्नतें जमाअत में शरीक़ होने के सबब पढ़ने से रहे रहे गयी हों तो फ़र्ज़ों के बाद पढ़ ले। (دستور المتقی، صفحہ۱۰۴)

2)अगर जमाअत हो रही हो तो नमाज़ के बाद सुन्नत पढ़ लें। (صلاۃ الرسول، صفحہ۳۵۱)

कौन है तारीके आईना -ए- रसूले मुख्तार,

किस की नज़रों में समाया है शिआरे अगियार!

मसलेहत वक़्त है किस के अमल का मिआर,

हो गयी किस की निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार!

क्लब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं,

कुछ भी पैग़ामे मुहम्मद का तुम्हें पास नहीं!

मिसाल न. 24

अवाम के हाथों में क़ुरआन व हदीस दे कर उन्हें मुजद्दीद व मुहक़्क़ीक़ बनाने वाले गैर मुक़ल्लीदीन

ने दीन का किस क़दर तमाशा बनाया,

क़ुरआन व हदीस के इर्शादात के मुताबिक अवाम का तो बस यहीं काम है कि अहेले इल्म से पूछ कर अपने दीनी मसाइल पर अमल करें,

भला ये कैसी दीनदारी है कि दीन के मुआमले में सहाबा और ताबेईन और अइम्माए मुजतहिदीन कि तहक़ीक़ात को ना काफी जान कर हर शख़्स अज़ सरे नौ तमाम दीनी मसाइल की फिर से तहक़ीक़ करने लग जाएं? उम्रे ख़त्म हो जाएगी मगर एक मसअले की मारेफ़त भी हासिल ना हो सकेंगी,

और इस तरह की आज़ाद रवी की इजाज़त दी जाए तो जितने मुजतहिदीन होंगे उतने ही मज़हब फिर जो इंतेशार व इख़्तेलाफात रुनूमा होंगे उस का तसव्वुर भी मुहाल है,

गैर मुक़ल्लीदीयत उम्मुल फ़ितन (फ़ितनों की माँ) है, और ये फितना बड़े ज़ोर व शोर से दावा करता है अहेले हदीस (हदीस वाले) होने का मगर दावा और अमल का खुला हुआ तज़ाद देखना चाहते है तो ये देखें,

हदीस -ए- रसूल صلى الله عليه وسلم :

उम्मुल मोमिनीन सैय्यदा आइशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها फ़रमाती है कि रसूल صلى الله عليه وسلم ने फरमाया,

जवान औरत की नमाज़ बगैर ओढ़नी के क़ुबूल नही होती।

(جامع ترمذی، جلد۱، صفحہ۸۵، سنن ابي داؤد، صفحہ۹۴)

इस फ़रमाने रसूल صلى الله عليه وسلم से ऐलान बग़ावत करते हुए गैर मुक़ल्लीद आलिम लिखते है,

अहेले हदीस :

नमाज़ में सतर (औरत के बाल भी उस के सतर में शामिल है) खुल जाए या वो नापाक कपड़ों में नमाज़ पढ़ लें तो नमाज़ हो जाएगी।

(عرف الجادی، صفحہ۲۱)

फ़िक़्हे हनफ़ी पर उंगली उठाने वालों पहले घर की खबर लो मौलवी साहब नापाक कपड़ों में

नमाज़ की इजाज़त दे रहे है। (معاذ اللہ رب العالمین)

मिसाल न. 25

गैर मुक़ल्लीदीन अपनी तक़रीरों व तहरीरों, वा'अज़ व बयान, किताबों और रसाइल में बड़े ज़ोर व शोर, जोश व खरोश और सद्दोमद के साथ ये नारा बुलंद करते है की वो इत्तेबाअ -ए- हदीस के जज़्बे में तक़लीद को तर्क करते है, लेकिन गैर मुक़ल्लीदीन का ये दावा सदफीसद झूठा और बिल्कुल गलत है, इस लिए की तर्के तक़लीद का बास उन की तबियतों की सहूलत पसंदी, उन की नफ़्स की सहल अंगारी और जिस्म व जान की आराम तलबी है,

कुछ मिसाले :

बीस रकाअत तरावीह को आठ पढ़ना,

तीन वित्र को एक पढ़ना,

ऊंट, बैल, भैस, गाये, बकरे और दुम्बे की कुर्बानी पर ज़्यादा खर्च होता है इस लिए मुर्गी और अंडे की कुर्बानी का फ़तवा देना। (فتوی ستّریہ، جلد ۲، صفحہ ۲۷)

एक मजलिस की तीन तलाक़ को एक मान कर ज़िना का इर्तिक़ाब करना,

औरतों को मसाजिद में लाना, तीन मील पर नमाज़ क़स्र करना, हवा पीछे से बेधमाका निकले तो वुज़ू को बाकी मानना,

बगैर टोपी या इमामा के नंगे सर नमाज़ पढ़ना, इन-शर्ट पर नमाज़ पढ़ना, औरतों के लिए नेल पॉलिश जाइज़ करना और उस पर वुज़ू को दुरुस्त मानना।

(فتوی علمائے اہلِ حدیث، جلد۱، صفحہ۲۹)

ऐसे एक दो नही बल्कि हज़ारों ख़िलाफ़े शरीअत, ख़िलाफ़े हदीस मसाइल है उन के और ये सब तर्के तक़लीद के भयानक नताइज है।

हमारे तो समझ मे ये नही आता आखिर ये अपने को अहेले हदीस कहते ही क्यों है, जब कि इस के माअनी ही है अहादीस पर अमल करने वाला, और तमाम अहादीस पर अमल करने वाला, इन का दावा सरासर झूठा है क्योंकि ये एक दो नहीं हज़ारों अहादीस और आसारे सहाबा के मुखालिफ है,

दुश्मन है,

तर्के रफुल यदैन की हदीस, ज़ोर से आमीन कहेने की हदीस, सीने पर हाथ बांधने की हदीस यहीं कुल दो चार हदीसों पर अमल कर के आप पक्के अहेले हदीस और हम मुक़ल्लीद (अहनाफ़, शवाफेह, मालकी, हंबली) कसरत से अहादीस पर अमल कर के मुशरिक और बिदती?

अहेले हदीस होने की सूरत में तमाम अहादीस पर अमल ज़रूरी है और आप लोग यक़ीनन यक़ीनन बहुत से हदीसों के तारिक़ बल्कि मुखालिफ है, तो जनाब! कुछ हदीसों पर अमल से आप कैसे अहेले हदीस हो गए?

इन की जमाअत का नाम वैसे अंग्रेजों की खुसूसी इनायत है जो इन के उलमा की अंग्रेजों की चाकरी और जी हुज़ूरी के ऐवज़ मलिका विक्टोरिया से ब सूरते भिक मिला है,

चूंकि ये बेचारे विक्टोरियन अहेले हदीस है इसी लिए हदीसे रसूल के पक्के मुखालिफ है देखें सुबूत,

हदीस -ए- रसूल صلی اللہ علیہ وسلم :

हज़रत रफा'अ बिन राफे'अ से मरवी है कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया,

जैसे तुझे अल्लाह त'आला ने हुक़्म दिया वैसे वुज़ू कर, फिर अज़ान, फिर इक़ामत, फिर तकबीर, (तहरीमा) फिर अगर तुझे क़ुरआन याद हो तो पढ़ वरना अल्लाह की हम्द व सना और उस की तकबीर व तहेलील कर।

(جامع ترمذی، جلدا، صفحہ٦٦، سنن ابی داؤد، جلدا، صفحہ١٢٥)

इस हदीस में अल्लाह त'आला के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने उस शख़्स के बारे में फरमाया जो क़ुरआन पढ़ना या ज़बानी पढ़ना ना जानता हो तो जब तक सिख ना ले इस तरह करें, मगर इस फरमाने रिसालत के खिलाफ गैर मुक़ल्लीदों के उलमा का फरमान,

अहेले हदीस :

मकरूह नहीं के इमाम नमाज़ में क़ुरआन देख कर पढ़ें और अपनी उंगली से अवराक़ बदले।

(نزول الابرار، جلد۱، صفحہ۱۳۱)

उम्मीद है इस किताब की मुक़म्मल पच्चीस (सरकारे आलाहज़रत رضي الله عنه की निस्बत से) मिसालों को पढ़ कर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गैर मुक़ल्लीदीन अहेले हदीस नही बल्कि दुश्मने हदीस है।

हर राहगुज़र पर शमा जलाना है मेरा काम,
तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं

وما علينا الا البلاغ

ABU HANIFA PUBLICATION

Ki Bahut Jald Manzare Aam Par Aane Wali Hindi Kitabe

1) Hanfi Namaz Aur Hadees -E- Rasool ﷺ...

2) Ahele Sunnat Hi Ahele Jannat Hai...

3) Khatme Nabuwat Par 40 Ahadees...

4) Abu Hanifa Taaba'i Hai...

5) Shaan -E- Habib Ur Raheman...

Powered By :

Abu Hanifa Charity Faundation, Khamgaon